अपील सूचना अधिकार संख्या 60/2016 अनवानी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी 13 मुखर्जी नगर श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30-08-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधाकृष्ण टेकवाणी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः-

1. श्रीगंगानगर के तहसील क्षेत्र के एरिया में माह जनवरी 2014 से लगातार माह जून 2015 तक रोस्टर में आवंटित केरोसीन तेल की मात्रा, राज्य सरकार द्वारा आवंटित केरोसीन तेल की मात्रा (इसी कम में लगातार) रोस्टर से शेष (extra) केरोसीन तेल की मात्रा प्रति माह जनवरी 2014 से माह जून 2015 तक प्रमाणित प्रति देवे।
2. जनवरी 2014 से जून 2015 तक रोस्टर से शेष (extra) केरोसीन तेल में आवंटन के लिए अपनायी गयी प्रकिया, नोट-शीट, कार्यालय टिप्पणियां व प्रत्येक माह के लिए जारी आदेश की प्रमाणित प्रतियां।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में जिला रसद अधिकारी के पत्र सं0 4236 दिनांक 23.07.15 के सन्दर्भ में 105 पेज की सूचना के लिए 210रूपये के पोस्टल ऑर्डर दिनांक 07.08.15 को जमा करवाने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जिसके लिए लोक सूचना अधिकारी को प्रतिदिन के प्रतिफल से दण्डित किया जावे एवं प्रतिफल की राशि उसे दिलवाई जावे व उसके द्वारा जमा करवाई गई पोस्टल ऑर्डर राशि वापिस लौटाई जावे एवं सूचना निशुल्क प्रदान करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 5387 दिनांक 21.07.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को 105 पृष्ट की सूचना के लिए 2रूपये प्रति पृष्ट की दर से जमा करवाने के लिए पत्र सं0 4236 दिनांक 23.07.15 द्वारा लिखा गया था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.08.15 को कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त राशि के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाने पर सूचना तैयार कर अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना प्राप्त करने के लिए कहा गया था किन्तु प्रार्थी ने आदिनांक तक सूचना प्राप्त नही की है। इसलिए उनके द्वारा प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं रजि0 पत्र सं0 5386 दिनांक 21.07.17 के द्वारा भिजवा दी गई है।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 4236 दिनांक 23.07.15 के द्वारा 105 पृष्ठ की सूचना के लिए 210 रूपये पोस्टल ऑर्डर जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि के पोस्टल ऑर्डर जमा करवाने के उपरान्त सूचना प्राप्त करने के लिए कहे जाने के उपरान्त भी प्राप्त नही की गई जिस कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा रजि0 डाक से पत्र सं0 5386 दिनांक 21.07.17 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रजि0 डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। इसलिए अपीलार्थी की अपील पर अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को व अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा0/-

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर